

रामजीलाल खनाम लालराम पोरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहमद जा...
-------------	----------------------------------	------------------------

31.8.23 ..... पुस्तक ..... उपस्थित  
 साबिक आदेश दिनांक ..... 20.7.22 .....  
 की पालना में पत्रावली वास्ते ..... डुरेजात रिपोर्ट  
 दिनांक 28.9.23 को पेश हो।  
 उपखण्ड अधिकारी  
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

26.9.23 ..... पुस्तक ..... फरीदपुर ..... अनुपस्थित  
 साबिक आदेश दिनांक ..... 20.7.22 .....  
 की पालना में पत्रावली वास्ते ..... डुरेजात रिपोर्ट  
 दिनांक 04.11.23 को पेश हो।  
 उपखण्ड अधिकारी  
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

07.11.23 ..... पुस्तक ..... उपस्थित  
 साबिक आदेश दिनांक ..... 20.7.22 .....  
 की पालना में पत्रावली वास्ते ..... डुरेजात रिपोर्ट  
 दिनांक 28.9.23 को पेश हो।  
 उपखण्ड अधिकारी  
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

26.12.23 ..... पुस्तक ..... अनुपस्थित  
 साबिक आदेश दिनांक ..... 20.7.22 .....  
 की पालना में पत्रावली वास्ते ..... डुरेजात रिपोर्ट  
 दिनांक 08.1.24 को पेश हो।  
 उपखण्ड अधिकारी  
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

09.01.24  
 पत्रावली पेश। P.O. साहब N.B.Sy .....  
 के द्वारा कार्य में व्यस्त है।  
 पत्रावली दिनांक 06.02.24 को पेश हो।  
 Anil

06-2-2024

पत्रावली पत्रावली हुई। पत्रावली के इक्कोकम के यह सामने दयाया कि तटस्थीलवार गोविन्दगढ़ के पर क्रमांक क्र.अ./2018/3 दिनांक 01/12/2018 से इस द्वाशय का फल प्राप्त हुआ है कि प्रकार में चाही गनी कुरेजात रिपोर्ट के लिए वांछित सामान दखलतदारों को दवे में सफिलि नही किया गया है शालि कुरेजात रिपोर्ट सिम प्रकार तथार की जौके वारण को इक्कोकम दिया जात


12

# फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी मुकाम गोविन्दगढ़ (अलवर)  
 रामजीभास बनाम लालाराम कोरदा

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नाम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
--------------	----------------------------------	-----------------------------------

है कि बटवारे के जवे में समस्त सहकारकर्ताओं की उपस्थिति के कारण दवे के दखल में इनके (सोम रहे सहकारकर्ता) के साथ संश्लेषित फर्दों के आखण्ड सिद्ध करने के अन्वया पत्रावलि को नियमावली निम्नलिखित किया जा सकेगा। पत्रावलि आयदा दिनांक 23/2/24 को प्रस्तुत हो।

  
 06/2/2024  
 उपखण्ड अधिकारी  
 गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

23/2/24

पत्रावलि प्रस्तुत हुई। वादी, परिवारी शपवा इनके अधिकार पेशकारी हेतु कोई भी उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगायी गई। सांयकाल 5 बजे भी अन्तिम बार आवाज लगायी गयी परन्तु वादी, परिवारी शपवा इनके अधिकार को कोई भी उपस्थित नहीं आये। अतः वाद अदम परनी, अदम हाजरी में खातिज किया जाता है। पत्रावलि वाद तामील - तदमील दाखिल पत्र हो।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०